



बिहार राज्य

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

७ अगस्त १९२८(ल०)

हुदू० पटा ६९३)

पटा; बांगलार २९ अगस्त २००६

पत्र संख्या:-३ / सी०एस० / एम०-१००६ / २००६ । १५२५ दिनांक:- २९ अगस्त, २००६

मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग

— संकल्प —

विषय :- सरकार के माननीय मंत्रिगण/राज्य मंत्रिगण को मोबाईल फोन की सुविधा उपलब्ध कराने के संबंध में।

सरकार के माननीय मंत्रिगण/राज्य मंत्रिगण को मोबाईल फोन की सुविधा उपलब्ध कराने के संबंध में प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन था।

2. उपर्युक्त विषय पर सम्यक विचारोपरान्त राज्य सरकार ने माननीय मंत्रिगण/राज्य मंत्रिगण को मोबाईल फोन की सुविधा उपलब्ध कराये जाने के संबंध में निम्नांकित निर्णय लिये हैं :—

- (1) राज्य सरकार के सभी मंत्रिगण/राज्य मंत्रिगण को मोबाईल फोन की सुविधा देय होगी।

- (2) मोबाइल फोन के हैंड सेट की लागत प्रत्येक मामलों में 8000/- रुपये (आठ हजार रुपये) तक सीमित होगी।
- (3) इस सुविधा के लिए सरकार की ओर से प्रत्येक वर्ष अधिकतम 50,000/- (पचास हजार रुपये) तक के काल्स का भुगतान देय होगा जो वे अपने विवेकानुसार किसी महीने में उक्त सीमातक अधिक या कम (काल्स) कर सकते हैं।
- (4) मोबाइल फोन का क्रय मंत्रिगण/राज्य मंत्रिगण के लिए निर्धारित कार्यालय व्यय में उपबंधित राशि से किया जा सकेगा। मोबाइल फोन के काल्स पर होने वाले व्यय का वहन माननीय मंत्रिगण/राज्य मंत्रिगण के स्थापना विभाग द्वारा दूरभाष मद में उपबंधित राशि से किया जा सकेगा।
- (5) माननीय मंत्रिगण/राज्य मंत्रिगण का स्थापना विभाग, वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए मुख्य शीर्ष 2013-मंत्रिपरिषद के अन्तर्गत उपबंधित राशि से उक्त व्यय का वहन करेगा। जिस संबंधित विभाग में राशि उपलब्ध न हो वे, वित्त विभाग से सम्पर्क कर अनुपूरक आगणन/विहार आकर्मिकता निधि से अग्रिम प्राप्त कर राशि उपलब्ध कराने का अनुरोध करेंगे।
- (6) प्रस्ताव में वित्त विभाग की सहमति प्राप्त है।

आदेश :— आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(ह०)-अस्पष्ट

(अशोक कुमार चौहान)
सरकार के सचिव।

अधीक्षक, राजकीय लेखन सामग्री मंडार एवं प्रकाशन, पटना द्वारा प्रकाशित
तथा अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, बिहार, पटना द्वारा मुद्रित।

(बिहार नजट(असाधारण); 693-लाइन-571-500)